

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वमिलित रिजर्व नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

पत्रांक दि. 5.07.2019 श्री. जयलाल शास्त्रीजी प्रमोदपुरी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 155 दिनांक 01/07/2019

प्रार्थी दि. 5.07.2019 श्री. जयलाल शास्त्रीजी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प. 10 = 606 खण्ड नम्बर

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय 133, 287, मोहन नगर

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 20111

जरिये रसीद संख्या 2069/4936/1037

दिनांक 01/07/2019 को जमा करा दी है।

प्राधिकार
नगर निगम, जोधपुर

श्री. जयलाल शास्त्रीजी
सहायक नगर निवासी
नगर निगम, जोधपुर

जी + 1
आवासीय

received
filed
3025048719